परिशिष्ट प्रपत्र - 01 [8/7/2024]

प्रश्न सं. [क्र. 2150]

म.प्र. विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक – (प्रश्नांश 'क' का परिशिष्ट प्रपत्र-01)
2150 दिनांक 08.07.2024, सदस्य – श्री प्रदीप पटेल

कार्यालय कलेक्टर (खाद्य) जिला रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/ 619 /खाद्य/2023 रीवा, दिनांक 2 /06/2023

प्रति,

उपायुक्त सहकारिता
जिला रीवा

विषयः- गंभीर अनियमितता करने वाले विक्रेताओ को पीडीएस कार्य से पृथक रखे जाने बाबत।

---000---

विषयांतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का खाद्यान्न अफरा-तफरी करने/वितरण में गंभीर अनियमिता करने वाले विक्रेताओ को वितरण प्रणाली के कार्य से पृथक रखने के निर्देश है, किन्तु गंभीर अनियमितता करने वाले/एफ.आई.आर. में आरोपी बनाये गये विक्रेताओ को पुनः पीडीएस कार्य में रखे जाने की जानकारी प्राप्त हो रही है, जिससे प्रशासन की छवि में प्रतिकूल प्रभाव पड रहा है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि वितरण प्रणाली में गंभीर अनियमितता करने वाले/एफ.आई.आर में आरोपी बनाये गये विक्रेताओ को वितरण कार्य से पृथक रखना सुनिश्चित करें एवं पालन प्रतिवेदन 08/06/2023 तक प्रस्तुत करें।

कलेक्टर
जिला रीवा (म.प्र)

रीवा, दिनांक 2 /06/2023

पृ.क्रमांक/ 619 /खाद्य/2023

प्रतिलिपि-

01. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुविभाग सर्व जिला रीवा
02. सहायक/कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी (सर्व) जिला रीवा।
03. प्रशासक सेवा सहकारी समिति (सर्व) जिला रीवा।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

04. उपसंचालक सूचना प्रकाशन रीवा की ओर स्थानीय समाचार पत्रो में प्रकाशनार्थ।

कलेक्टर
जिला रीवा (म.प्र)

संयुक्त आ...
सहकारिता, मध्यप्रदेश

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
सहकारिता विभाग

परिशिष्ट प्रपत्र -02

म.प्र. विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक – (प्रश्नांश 'ग' का परिशिष्ट प्रपत्र-02)
2150 दिनांक 08.07.2024, सदस्य – श्री प्रदीप पटेल

कार्यालय संयुक्त आयुक्त सहकारिता रीवा संभाग रीवा (म0प्र0)

Email ID- jrcoop.rwa@mp.gov.in

क्रमांक / शिकायत / 2024 / 354 रीवा, दिनांक 21.05.24

प्रति,

सहकारिता विस्तार अधिकारी,
ब्लॉक जवा जिला रीवा।

द्वारा :– कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता जिला रीवा।

विषयः– गंभीर अनियमितता मे संलिप्त विक्रेता श्री विकास सिंह सेवा सहकारी समिति मर्यादित दोंदर बैंक शाखा डभौरा को पद से पृथक करते हुए फर्जी समायोजन की जांच कराये जाने बावत।

संदर्भः– श्री संजय तिवारी तनय श्री बालकृष्ण तिवारी ग्राम डभौरा जिला रीवा का शिकायती आवेदन, दिनांक 15.05.2024

—000—

उपरोक्त विषयांतर्गत सन्दर्भित शिकायती पत्र इस कार्यालय मे प्राप्त हुआ है, जिसमें श्री विकास सिंह विकेता सेवा सहकारी समिति मर्यादित दोंदर बैंक शाखा डभौरा की अनियमितता एवं फर्जी समायोजन की जांच की मांग की गई है। पत्र के संलग्न संदर्भित आवेदन भेजकर शिकायत की जांच हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।

अतः आप शिकायत की बिन्दुवार जांच कर अपने स्पष्ट अभिमत सहित दो प्रति में जांच प्रतिवेदन सात दिवस मे इस कार्यालय मे प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

संयुक्त आयुक्त
सहकारिता
रीवा संभाग रीवा (म.प्र.)

पृ.क्रमांक / शिकायत / 2024 / 354 रीवा, दिनांक 21.05.24

प्रतिलिपिः–

उप आयुक्त सहकारिता जिला रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

22/5/24

संयुक्त आयुक्त
सहकारिता, मध्यप्रदेश

संयुक्त आयुक्त
सहकारिता
रीवा संभाग रीवा (म.प्र.)

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
सहकारिता विभाग

परिशिष्ट प्रपत्र-03

म.प्र. विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक – (प्रश्नांश 'घ' का परिशिष्ट प्रपत्र-03)
2150 दिनांक 08.07.2024, सदस्य – श्री प्रदीप पटेल

कार्यालय बहु.प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित दोंदर शाखा–डभौरा

क्र./2024/क्यू–1 दिनांक 24.05.2024

आदेश

सेवा सहकारी समिति मर्यादित दोंदर शाखा डभौरा, जिला–रीवा के वित्तीय पत्रक वर्ष 2022–23 के लेनदारी पक्ष में श्री विकास सिंह से राशि रू. 672525.15 लेनदारी अंकित है। श्री विकास सिंह द्वारा 672525.15 के विरूद्ध राशि रू. 578300.00 जमा किया जाना पाया गया है। इसके अतिरिक्त कार्यालय संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं रीवा सम्भाग रीवा द्वारा पृथक से शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें प्रथम दृष्टतया दोषी होने के कारण श्री विकास सिंह को उचित मूल्य दुकान संचालन से पृथक किया जाता है।

24/05/2024
(विकास मीठे)
प्रशासक
बहु.प्राथमिक कृषि साख सहकारी
समिति मर्यादित दोंदर

प्रतिलिपि :–
1. उपायुक्त सहकारिता जिला रीवा की ओर सूचनार्थ।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित रीवा की ओर सूचनार्थ।
3. शाखा प्रबंधक जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. रीवा की शाखा डभौरा की ओर सूचनार्थ।
4. समिति प्रबंधक सेवा सहकारी समिति मर्यादित दोंदर की ओर सूचनार्थ।
5. श्री विकास सिंह विक्रेता की ओर सूचनार्थ।

प्रशासक
बहु.प्राथमिक कृषि साख सहकारी
समिति मर्यादित दोंदर

संयुक्त आयुक्त
सहकारिता

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
सहकारिता विभाग